न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3338–अध्यक्ष / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–6–2014 एवं 28–8–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, बाबई जिला होशंगाबाद प्रकरण कमांक 07 / अ–70 / 12–13.

सुरेश चन्द आयु करीब 53 वर्ष आ0 किशनलाल
निवासी सेमरीहरचंद, तहसील सोहागपुर
जिला होशंगाबाद

.....आवेदक

विरूद्ध

रामसिंह आयु करीब 50 वर्ष
वल्द सदुआ
निवासी ग्राम खरदा तहसील बाबई जिला होशंगाबाद

.....अनावेदक

श्री राजेश मालवीय, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार बाबई जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 27–6–2014 एवं 28–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक सुरेश चन्द द्वारा तहसीलदार बाबई जिला होशंगाबाद के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन

पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम खरदा स्थित सर्वे नंबर 65/5 रकबा 1.76 एकड़ है । आवेदक की भूमि का तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–5–2012 एवं 28–5–2012 को सीमाकंन किया गया है और सीमाकंन में उसकी भूमि 0.05 डिसमिल पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ–70/12–13 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष मूल सीमाकंन प्रकरण मंगाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–6–2014 को आदेश पारित कर इस निष्कर्ष के साथ कि प्रकरण में पूर्व से सीमाकंन प्रकरण की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है और उक्त आवेदन पत्र प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तदोपरान्त दिनांक 28–8–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया । तहसीलदार के इन्हीं दोनों आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 1–7–2015 को अनावेदक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों की उल्लिखित आधारों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) धारा 250 संहिता के आवेदन के न्यायिक निराकरण हेतु सीमांकन का रिकार्ड बुलाया जाना अत्यंत आवश्यक है । इसके बावजूद निम्न न्यायालय ने आवेदन पत्र निरस्त कर विधि की भारी त्रुटि की गई है । इस कारण आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में सीमाकंन का रिकार्ड अत्यंत आवश्यक है । यह निम्न न्यायालय को देखना था कि सीमाकंन के रिकार्ड बगैर अनावेदक को सीमाकंन की

सूचना एवं उनकी उपस्थिति को कैसे सिद्ध करेंगे । निम्न न्यायालय के आदेश से आवेदक का विधिक अधिकार समाप्त हो गया है ।

(3) आवेदक सीमाकंन के रिकार्ड के माध्यम से अपने समर्थन में पटवारी एवं अन्य सीमांकन के समय उपस्थित व्यक्तियों एवं साक्षियों की साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन उसके साक्ष्य के विधिक अधिकार की समाप्ति निम्न न्यायालय द्वारा रिकार्ड नहीं बुलाये जाने के आदेश के परिणामस्वरूप हो गई है । इस कारण निम्न न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमाकंन का मूल प्रकरण मंगाये जाने का अनुरोध आवेदन पत्र प्रस्तुत कर किया गया है । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि प्रकरण में पूर्व से सीमाकंन प्रकरण की सत्य प्रतिलिपि पेश है और आवेदक द्वारा प्रकरण को विलंबित रखने के उद्देश्य से उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक को अनेक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में भी किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण में सीमाकंन का रिकार्ड बुलाया जाना आवश्यक है, क्योंकि निम्न न्यायालय को यदि यह देखना है कि अनावेदक को बिना सूचना दिये सीमाकंन की कार्यवाही की गई है तो इस बिन्दु को सिद्ध करने का भार अनावेदक पर है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत

प्रचलित प्रकरण में सीमाकंन कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बाबई जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–2014 एवं 28–8–2014 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर